न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : डां. गुंजन सोनी (आर.ए.एस)

खाद्य सुरक्षा परिवाद संख्या 36/2023 GCMS No.2023/103

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर

बनाम

1. विकास बालड़ पुत्र पारसमल बालड़ जाति जैन निवासी सवाउ पदमसिंह तह0 गिड़ा जिला बालोतरा
2. गोतम चन्द मालू पुत्र चम्पालाल मालू प्रोप्राइटर ऑफ मैसर्स महावीर सेल्स कोर्पोरेशन, जी –9 कृषी उपज मण्डी बाड़मेर
3. राधा देवी प्रोप्राईटर ऑफ मैसर्स रिद्वि सिद्वि ट्रेडर्स,12 वीर सावरकर ब्लोक,मण्डोर मण्डी जोधपुर।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम की धारा 26 की उप धारा 2(ii) व दण्डनीय धारा 51

उपस्थित

1. अभियोजन अधिकारी, बालोतरा प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी के अधिवक्ता स्वयं उपस्थित।

आदेश दिनांकः–**08.07.2025**

प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बालोतरा द्वारा धारा 26 की उप धारा 2(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बालोतरा द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि **विकास बालड़ पुत्र पारसमल बालड़ जाति जैन निवासी सवाउ पदमसिंह तह0 गिड़ा जिला बालोतरा** पर निरीक्षण **दिनांक 16.02.2023** के दौरान विक्रय हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड श्री गोविंद** में मिलावट का शक होने पर नियमानुसार **कुल 500 एमएल के चार जार पैकेट** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **P-1901** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड श्री गोविंद** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड श्री गोविंद** का नमूना जांच **L.S. / 287 / Act / 2023/ 341** दिनांक **28-02-2023 The sample of Ghee (Shree Gobind Brand) bearing Code No. and Sr. No. P-1901 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Barmer is Sub- standard as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food products Standard and Food Additives) Regulations Act-2011 and Misbranded under section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act 2006** पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बालोतरा द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

1. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी 01 व 3 के अधिवक्ता स्वयं उपस्थित होकर पत्रावली पर बहस कि गई। अप्रार्थी को प्रत्येक स्तर पर सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अपने प्रतिरक्षण में कोई ठोस एवं तथ्यपरक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है। हमने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से संबंधित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर की जांच उपरांत **L.S. / 287 / Act / 2023/ 341** दिनांक **28-02-2023 The sample of Ghee (Shree Gobind Brand) bearing Code No. and Sr. No. P-1901 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Barmer is Sub- standard as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food products Standard and Food Additives) Regulations Act-2011 and Misbranded under section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act 2006** का पाया गया है। इस पर यह परिवाद प्रस्तुत होने पर **अप्रार्थी** को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। **अप्रार्थी** स्वयं उपस्थित हुए तथा प्रकट किया कि **अप्रार्थी** की फर्म से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूने में पाई गई मिलावट अज्ञानता के कारण हुई है। भविष्य में ऐसे भूल दोहराई नहीं जायेगी। **अप्रार्थी** द्वारा उक्त नमूना **घी ब्राण्ड श्री गोविंद में The sample of Ghee (Shree Gobind Brand) bearing Code No. and Sr. No. P-1901 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Barmer is Sub- standard as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food products Standard and Food Additives) Regulations Act-2011 and Misbranded under section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act 2006**का पाये जाने के लिए प्रथम अपराध मानते हुए नरम रूख अपनाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **घी ब्राण्ड श्री गोविंद Sub- standard and Misbranded** का पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट से अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित है।

2. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी **संख्या 01 से 03 पर पृथक–पृथक रुपये 100,000/– अक्षरे एक लाख रूपये मात्र** का जुर्माना निर्धारित किया गया हैं। अप्रार्थी **संख्या 01 सें 03 संयुक्त या पृथक–पृथक कुल रू. 300,000/– अक्षरे तीन लाख रूपये जुर्माना/शास्ति** की राशि का **बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/ई–चालान – मुख्य चिकित्स एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालोतरा** के नाम राजकोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करावें पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

3. आदेश दिनांक **08-07-2025** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा (राज.)

(डॉ गुंजन सोनी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट,बालोतरा
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा